XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3974–दो/12 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला सागर के प्र0क0 17/निग0/11–12 में पारित आदेश दिनांक 16–10–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से लिखित बहस के साथ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 रामरती और रश्मि के शपथपत्र पेश किये गये हैं जिसमें उनके द्वारा आवेदक को कोटवार बनाए रखने पर कोई आपत्ति नहीं बताई है । इसी प्रकार का शपथपत्र अनावेदिका कमांक 3 सुनीता द्वारा भी पेश किया गया है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण पक्षकार बनाने के बिंदु पर इस न्यायालय में आया है और ऐसी स्थिति में जब जिनको पक्षकार बनना है वे ही पक्षकार नहीं बनना चाहते हैं और वे आवेदक के पक्ष में पारित स्थाई कोटवार के आदेश में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त कर रहे हैं ऐसी स्थिति में यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

न्यायालयः—मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2012 निगरानी

R 3974- II/12

माखन पुत्र पुरषोत्तम अहिरवार निवासी ग्राम भापेल तह. व जिला सागर म.प्र.

..........आवेदक

बनाम

1. रामवती पत्नी द्वारिका खंगार
2. रश्मि पुत्री द्वारिका खंगार निवासीगण ग्राम भापेल तह. व जिला सागर म.प्र.
3. सुनीता पत्नी बब्लू खंगार पुत्री शिब्बू खंगार निवासी ग्राम आगासौर तहत्र बीना जिला सागर म.प्र.

.............अनावेदकगण

श्री लखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 21.11.12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-11-12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय विद्वान कलेक्टर जिला सागर के प्रक. 17/निगरानी/11–12 में पारित आदेश दिनांक 16.10. 2012 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

21-11-12 (Lakhan Singh Dhakad) Adv.

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम पंचायत भापेल में पूर्व कोटवार शिब्बू पुत्र बुध्दे का स्वर्गवास होने से क्ति कोटवार पद पर आवेदक माखन पुत्र पुरषोत्तम को ग्राम कोटवार के पद पर दिनांक 26.08.2005 को अस्थाई नियुक्ति की गई जिसके विरुद्ध अनु.वि.अधि. के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 01.09.2006 से नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2005 स्थिर रखा गया जिसके विरुद्ध अपील अपर आयुत सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 19.10.2006 से आवेदक की अपील स्वीकार कर नवीन संकल्प निरस्त किया जाकर एवं आवेदक की नियुक्ति पात्रता के आधार पर विधिक होने से तथा कार्य संतोषजनक होने से उसे स्थाई नियुक्ति हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये।